

[2024] 3 एस.सी.आर. 767 : 2024 आईएनएससी 211

रविंद्र कुमार

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य

(आपराधिक अपील सं. 918/2024)

06 मार्च 2024

[न्या. बी.आर. गवई* और न्या. संदीप मेहता]

विचारणीय मुद्दा

1) क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं; 2) क्या अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला साबित करने से पहले साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत सबूत का भार अभियुक्त पर हो सकता है; 3) क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन दिए गए कथन के अनुसार बरामदगी स्वीकार्य हो सकती है, जब बरामदगी ऐसे स्थान से की गई हो जो सभी को ज्ञात हो तथा जो विशेष रूप से निर्माता के ज्ञान में न हो।

हेडनोट

दंड संहिता, 1860 - धारा 302 - परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 106, 27 - अपीलार्थी की पत्नी का गला कटा हुआ शव मिला - अपीलार्थी को धारा 302, 304ख/34, 498क/34 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया - उच्च न्यायालय ने धारा 304ख/34 के तहत दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया लेकिन धारा 302, 498क/34 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी - अभियोजन पक्ष ने धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के

लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया - विचारण न्यायालयों ने पाया: (i) बिना किसी आधार के अन्यत्र रहने की दलील (ii) अपीलार्थी के पैतृक घर से बरामद खून से सने कपड़े (iii) घर में अपीलार्थी के नाम वाला अंग्रेजी कैलेंडर मिला (iv) अपीलार्थी ने घर में ऐसा माहौल बनाया जिससे यह डकैती जैसा लगे।

अभिनिर्धारित किया गया: (1) जब अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है, तो जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से सिद्ध किया जाना चाहिए - अभियुक्त 'दोषी होना चाहिए' और न कि केवल 'दोषी हो सकता है' - इस प्रकार सिद्ध तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए, किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या योग्य नहीं होने चाहिए - साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि यह उचित संदेह से परे दिखाया जा सके कि यह कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया था - (2) साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर भार डालने से पहले, अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि मृत्यु होने से पहले मृतक और अभियुक्त को घर में देखा गया था - विशेषकर तब जब अभियुक्त अन्यत्र उपस्थिति की विशिष्ट दलील पेश करता है - (3) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए बयान पर बरामदगी स्वीकार्य होने के लिए, बरामदगी केवल इसे करने वाले के ज्ञान के भीतर के स्थान से होनी चाहिए - वर्तमान मामले में, बरामदगी सभी के लिए सुलभ स्थान से हुई थी [पैरा 8, 9, 10 11, 13, 17]।

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [1985] 1
एससीआर 88: (1984) 4 एससीसी 116: 1984
आईएनएससी 121 - पर भरोसा किया गया।

त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य [2006]
अनुपूरक 7 एससीआर 156: (2006) 10 एससीसी 681:
2006 आईएनएससी 691 - पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; साक्ष्य अधिनियम, 1872.

विशिष्ट शब्दों की सूची

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांत; धारा 106, साक्ष्य अधिनियम ;
सबूत का भार - अन्यत्र उपस्थित होने का बहाना ; धारा 27 साक्ष्य
अधिनियम के तहत बरामदगी, जब स्वीकार्य हो।

इनसे उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 918/2024
आप.अ संख्या 287/2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के
दिनांक 12.10.2015 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलार्थी के अधिवक्तागण: सुश्री नेहा कपूर, कौशल मेहता, पुलकित
श्रीवास्तव, अंकित भूटानी

प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण: राजन कुमार चौरसिया, मुकेश कुमार मरोरिया, नचिकेता जोशी, पी वी योगेश्वरन, उदय खन्ना, विष्णु शंकर जैन, सचिन शर्मा

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. बी.आर. गवई

1. यह अपील, आपराधिक अपील संख्या 287/2015 में 12 अक्टूबर, 2015 को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया।
2. वर्तमान अपील दायर करने के लिए आवश्यक तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:
 - 2.1 मृतक मीना, मनी राम (अभि.सा.3) और ज्ञानवती (अभि.सा.6) की पुत्री, का विवाह अपीलार्थी-रविन्द्र कुमार (अभियुक्त संख्या 1) से 20.06.1999 को हुआ था। उक्त विवाह से दिनांक 26.08.2000 को हैरी नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। 27.04.2001 को 0055 बजे, मृतका मीना के कहने पर, भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 498-क के अंतर्गत अपराध की जांच के लिए पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, दिल्ली में प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'प्राथमिकी') संख्या 129/2001 (प्र. अभि.सा.-9/क) दर्ज की गई थी। उक्त प्राथमिकी में मृतका मीना ने अपने पति रविन्द्र कुमार (अभियुक्त नं. 1) और उसके दो भाइयों पुष्पेन्द्र सिंह (अभियुक्त नं. 2) और आर. हर्षिंदर (अभियुक्त नं. 4) द्वारा उसके वैवाहिक घर,

मकान नं. 252, ओल्ड चंद्रावल, सिविल लाइन, दिल्ली में रहने के दौरान की गई क्रूरता के संबंध में आरोप लगाए थे। उक्त प्राथमिकी में, जांच पूरी होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सीआरपीसी') की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था और उसने महानगर दंडाधिकारी (महिला न्यायालय), दिल्ली के समक्ष बयान दिया कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। उसने आगे कहा कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ उसकी कोई शिकायत नहीं है तथा यह शिकायत उसने हताशा और गुस्से में की थी। उसने यह भी कहा था कि वह अपने पति और बच्चे के साथ खुशी-खुशी अलग रह रही है, क्योंकि इस प्रकार की आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी और अभियुक्तों को दिनांक 21.10.2003 के निर्णय के माध्यम से दोषमुक्त कर दिया गया था।

2.2 29.05.2004 की सुबह लगभग 08:20 बजे मीना का शव भूतल पर कमरे के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला, उसका गला किसी तेज धार वाले हथियार से कटा हुआ था तथा उसका लगभग साढ़े तीन साल का बेटा हैरी पास में बैठा हुआ मिला।

2.3 सब इंस्पेक्टर राम चंद्र (अभि.सा.15) द्वारा भेजे गए रुक्का (प्र. अभि.सा.-15/ख) के आधार पर धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी संख्या 211/04 (प्र. अभि.सा.-1/क) दर्ज की गई। बाद में इस प्राथमिकी को मृतक मीना के पिता मनी राम (अभि.सा.3), भाई शिव कुमार (अभि.सा.4) और मां ज्ञानवती (अभि.सा..6) द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर भा.दं.सं. की धारा 304-ख/498-क/34 के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित मामले में परिवर्तित कर दिया गया।

2.4 जांच के समापन पर, मृतका के पति रविन्द्र कुमार (अभियुक्त सं. 1), मृतका के ससुर बाबू लाल (अभियुक्त सं. 4), मृतका की सास फूलवती (अभियुक्त सं. 3) और मृतका के देवर पुष्पेन्द्र (अभियुक्त सं. 2) और आर. हरशिन्दर (अभियुक्त सं. 5) के खिलाफ आरोप लगाए गए। मुकदमे के समापन पर, दिनांक 25.11.2014/08.01.2015 के निर्णय और आदेश द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली (जिसे आगे “विचारण न्यायालय” कहा जाएगा) ने अपीलार्थी को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 25,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई तथा धारा 498क/34 के तहत अपराधों के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, साथ ही निर्देश दिया गया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें क्रमशः छह माह तथा तीन माह के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।

2.5 इससे व्यथित होकर, दोषी व्यक्तियों द्वारा दो आपराधिक अपीलें दायर की गईं। मृतक के पिता मनी राम (अभि.सा.3) ने भी भा.दं.सं. की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त सं 2 से 5 को बरी किए जाने से व्यथित होकर आपराधिक अपील संख्या 569/2015 के नाम से एक स्वतंत्र अपील दायर की थी। अपीलों पर एक साथ सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर 2015 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से अपीलार्थी और पुष्पेंद्र (अभियुक्त संख्या 2) को भा.दं.सं. धारा 34 के सहपठित धारा 302

के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। अपीलार्थी और पुष्पेंद्र (अभियुक्त संख्या 2) की दोषसिद्धि और सजा को धारा 304ख सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपास्त कर दिया गया, जबकि धारा 302/34 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा गया। उच्च न्यायालय ने पुष्पिंदर (अभियुक्त संख्या 2) को धारा 302/34 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन माह का कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। फूलवती (अभियुक्त सं. 3), बाबू लाल (अभियुक्त सं. 4) और आर. हर्षिंदर (अभियुक्त सं. 5) को धारा 304-ख सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया तथा सभी आरोपियों को धारा 498-क सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया तथा उनके विरुद्ध दी गई सजा को बरकरार रखा गया।

2.6 बाबू लाल (अभियुक्त संख्या 4), जो मृतक का ससुर है, ने इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 2025/2017 दायर की थी। चूंकि फूलवती (अभियुक्त संख्या 3), जो मृतक की सास थी, की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए उसके खिलाफ अपील निरस्त कर दी गई। उक्त अपील में, जहां तक बाबू लाल (अभियुक्त संख्या 4) का संबंध है, यद्यपि इस न्यायालय को विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला, तथापि इसने अभियुक्त संख्या 4-बाबू लाल द्वारा पहले से भुगती गई अवधि के लिए सजा को कम कर दिया।

2.7 पुष्पेंद्र (अभियुक्त संख्या 2) ने आपराधिक अपील संख्या 938-939/2016 दायर की थी। इस न्यायालय ने 15 फरवरी 2022 के आदेश के तहत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और पुष्पेंद्र (अभियुक्त संख्या 2) के खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज दोषसिद्धि और सजा को अपास्त कर दिया, हालांकि इसने धारा 304 बी और 498 ए के सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि और सजा को बहाल कर दिया।

2.8 जहां तक आर. हर्षिंदर (अभियुक्त संख्या 5) का सवाल है, उसने आपराधिक अपील संख्या 244/2022 दायर की है। 15 फरवरी 2022 के आदेश के जरिए उसकी अपील को आंशिक रूप से उसके द्वारा पहले ही भुगती गई अवधि की सजा को कम करके अनुमति दी गई थी।

2.9 उपरोक्त अपीलों पर निर्णय होने के पश्चात् अपीलार्थी ने अक्टूबर, 2023 में वर्तमान अपील प्रस्तुत की है। इस मामले में दिनांक 13.02.2024 को अनुमति प्रदान की गई।

- 3.** हमने अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री नेहा कपूर और प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता श्री राजन कुमार चौरसिया को सुना है।
- 4.** सुश्री कपूर ने कहा कि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी के विरुद्ध उचित संदेह से परे कोई भी दोषपूर्ण परिस्थिति साबित नहीं हुई है। उनका कहना है कि जहां तक खून से सने कपड़ों की बरामदगी का सवाल है, ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां हर कोई पहुंच सकता है और वह आगे कहती हैं कि बरामदगी पंचनामे में बरामदगी की तारीख का भी उल्लेख नहीं है। इसलिए उनका

कहना है कि भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि बिल्कुल भी मान्य नहीं है।

5. सुश्री कपूर ने आगे कहा कि धारा 304ख और 498क के तहत भी दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी। उनका कहना है कि इस मामले में मृतक और अभियुक्त के बीच समझौता हो गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त पहलू को ध्यान में रखते हुए, संशोधित आरोप 14.03.2007 को तैयार किया गया, जिसमें क्रूरता के संबंध में दावे को केवल 21.10.2003 और 29.05.2004 के बीच की अवधि तक सीमित कर दिया गया, अर्थात् पहले की कार्यवाही में विद्वान दंडाधिकारी द्वारा निर्वहन की तारीख से लेकर उस तारीख तक जब मीना मृत पाई गई। सुश्री कपूर ने आगे कहा कि इस अवधि के दौरान अपीलार्थी के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के प्रावधानों को आकर्षित करे। यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष दोष साबित करने में विफल रहा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के तहत दोषसिद्धि भी मान्य नहीं होगी।
6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजन कुमार चौरसिया ने प्रस्तुत किया कि दोनों न्यायालयों ने साक्ष्य के सही मूल्यांकन के आधार पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए यहाँ दोषी पाया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दर्ज की गई दोषसिद्धि में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 304ख के तहत दोषसिद्धि का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा तीन सह-अभियुक्त व्यक्तियों के मामले में इसकी पुष्टि की गई है, इस प्रकार उक्त निष्कर्ष अंतिम हो गया है।

7. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से हमने साक्ष्य की जांच की है।
8. निस्संदेह, अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के संबंध में कानून को इस न्यायालय के शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में दिए गए निर्णय में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:

"152. उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए मामलों पर चर्चा करने से पहले हम एक आपराधिक मामले में आवश्यक प्रकृति, चरित्र और आवश्यक साक्ष्य पर कुछ निर्णयों का हवाला देना चाहेंगे जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हैं। इस न्यायालय का सबसे मौलिक और बुनियादी निर्णय हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1952) 2 एससीसी 71: एआईआर 1952 एससी 343: **1952 एससीआर 1091**: 1953 क्रि एलजे 129] है। इस मामले को इस न्यायालय द्वारा आज तक के कई बाद के निर्णयों में समान रूप से अनुसरण और लागू किया गया है, उदाहरण के लिए, तुफैल (उर्फ) सिम्मी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1969) 3 एससीसी 198: 1970 एससीसी (क्रि) 55] और रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1972) 4 एससीसी 625: एआईआर 1972 एससी 656]। न्या. महाजन ने हनुमंत मामले [(1952) 2 एससीसी 71 : एआईआर 1952 एससी 343 : **1952 एससीआर 1091** : 1953 क्रि एलजे 129] : में जो कहा है, उसे उद्धृत करना उपयोगी हो सकता है।

"यह याद रखना उचित है कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति के होते हैं, वहां जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहले तो पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, तथा इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप ही होने चाहिए। पुनः, परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे सिद्ध करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह ऐसा होना चाहिए जिससे यह पता चले कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूरी तरह सिद्ध माने जाने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है वह पूरी तरह से सिद्ध होनी चाहिए।

यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि संबंधित परिस्थितियां "स्थापित होनी चाहिए या होनी चाहिए" न कि "स्थापित की जा सकती हैं"। "साबित किया जा सकता है" और "साबित किया जाना चाहिए या

अवश्य किया जाना चाहिए" के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एससीसी 793: 1973 एससीसी (क्रि) 1033: 1973 सीआरएल एलजे 1783] में माना था, जहां ये टिप्पणियां की गई थीं: [एससीसी पैरा 19, पृष्ठ 807: एससीसी (क्रि) पृष्ठ 1047]

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है, तभी न्यायालय उसे दोषी ठहरा सकता है और 'हो सकता है' तथा 'होना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है तथा अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।"

(2) इस प्रकार सिद्ध तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, वे किसी अन्य परिकल्पना को समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए

कोई उचित आधार न छूटे तथा यह दर्शाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावना में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

154. अगर हम ऐसा कहें तो, ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले को साबित करने के पंचशील हैं।”

9. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि जिन परिस्थितियों के आधार पर दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह सिद्ध किया जाए। न्यायालय का मानना है कि यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त को 'दोषी होना ही चाहिए' न कि केवल 'वह हो सकता है'। यह माना गया है कि 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए' या अवश्य किया जाना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है। यह माना गया है कि इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, वे किसी अन्य परिकल्पना को समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है। आगे यह भी माना गया है कि परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि वे सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर दें। यह माना गया है कि साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे तथा यह दर्शाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

10. यह स्थापित कानून है कि संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता। किसी भी अभियुक्त को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो। किसी अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे उचित संदेह से परे दोषी साबित न कर दिया जाए।
11. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में, हमने वर्तमान मामले की जांच की है। इस वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मूल रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और दोषसिद्धि की पुष्टि की, तथा पाया कि इस बहाने की दलील में कोई दम नहीं है। यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर भार डालने से पहले अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य² के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मददेनजर, जो वर्तमान मामले की तरह ही एक मामला है, जहां पति और पत्नी एक घर में एक साथ रहते हैं और अपराध घर के अंदर ही होता है, यह पति को बताना होगा कि जिस घर में वे एक साथ रहते थे, वहां मृत्यु कैसे हुई। हालांकि, ऐसे मामले में भी अभियोजन पक्ष को पहले यह साबित करना होगा कि मृत्यु होने से पहले मृतक और अभियुक्त को उक्त घर में देखा गया था। वर्तमान मामले में, घटना 28/29 मई, 2004 की मध्य रात्रि को घटित हुई थी। अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक था कि वह यह साबित करने के लिए कुछ साक्ष्य पेश करे कि 28/29 मई 2004 की रात को मृतक और अभियुक्त घर में एक साथ थे। यह, अन्यत्र उपस्थिति के बचाव की विशिष्ट दलील को ध्यान में रखते हुए और भी अधिक आवश्यक होगा।

12. हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेहों से परे अन्य परिस्थितियां सिद्ध की हैं, जिसके कारण अभियुक्त के अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकला।
13. अभियोजन पक्ष ने सरोज, पुष्पेंद्र (अभियुक्त सं. 2) और रविंदर कुमार (अभियुक्त सं. 1) के मोबाइल फोन के संबंध में सीडीआर पर भरोसा किया है। हालाँकि, दोनों न्यायालयों ने उक्त साक्ष्य को अस्वीकार्य पाया क्योंकि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 क के अनुसार सिद्ध नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे चंद्रावल स्थित उसके पैतृक घर से डबल बेड के नीचे अपराध के समय अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किए गए खून से सने कपड़ों की जब्ती के संबंध में हैं। हमने पाया कि उक्त बरामदगी पर एक से अधिक कारणों से भरोसा नहीं किया जा सकता। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दिए गए कथन के आधार पर बरामदगी को स्वीकार्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे स्थान से की गई हो जो कि उसे करने वाले के पूर्ण ज्ञान में हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बरामदगी ऐसी जगह से हुई है, जहां सभी लोग पहुंच सकते हैं और बरामदगी के पंचनामा में भी ऐसी बरामदगी के संबंध में तारीख का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, मालखाना रजिस्टर में उक्त वस्तुओं को जमा करने तथा रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल को भेजने के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है। इसलिए, हम पाते हैं कि उक्त परिस्थितियों को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया जा सकता है।
14. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष किसी भी अन्य परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित करने की स्थिति में नहीं है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस परिस्थिति पर काफी हद तक भरोसा किया है कि कमरे में एक अंग्रेजी कैलेंडर (प्र. पीएक्स) लटका हुआ पाया गया था। एक तरफ

कागज की दो शीटों पर दोनों समान कंप्यूटर प्रिंट आउट चिपकाए गए हैं। शीटों में से एक पर, बायीं ओर के ऊपरी कोने पर, रविंदर नाम और उसके बाद मोबाइल टेलीफोन नंबर 9818419048 और उसके पहले तीर के निशान के साथ मोबाइल फोन का चित्र है, हाथ से लिखा हुआ सब देखा जा सकता है। कैलेंडर के ऊपर, ऊपर चिपकाई गई दूसरी शीट पर यह इस प्रकार प्रिंट किया गया था:-

“ससुराल वाले: 2791 3334

खुद का नंबर: 9818419048

मेरे घर का नंबर: 55153285

15. यह माना गया है कि अपीलार्थी ने अपने घर की दीवार पर कैलेंडर (प्र.पीएक्स) लटका रखा था, जहां वह रहता था और कैलेंडर (प्र.पीएक्स) घर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता था। यह माना गया कि यह जानबूझकर किया गया था और इसका एक उद्देश्य था। यह भी माना गया कि चंद्रावल का घर "मेरा घर" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है और वह घर जहां दूसरा फोन काम कर रहा था, उसके "ससुराल वालों" का घर माना गया। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

“....चंद्रावल के घर का फोन नंबर "मेरा घर" के रूप में वर्णित किया गया था और जिस घर में दूसरा फोन (27913334) कार्यरत था, उसे उनके "ससुराल वालों" का बताया गया था।

16. इस निष्कर्ष के साथ और इस निष्कर्ष के साथ कि घर में अपीलार्थी ने ऐसा माहौल बनाया जिससे यह डकैती जैसा लगे, यह माना गया कि केवल अपीलार्थी ही अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी है।
17. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय "अपराध किया हो सकता है" या "अपराध किया होगा" के बीच अंतर करने में विफल रहा है, जैसा कि इस न्यायालय ने शरद बिरधीचंद सारदा (पूर्वोक्त) के मामले में कहा है। जैसा कि इस न्यायालय ने माना है, संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता। इसलिए, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे किसी भी अपराध संबंधी परिस्थिति को साबित करने में विफल रहा है और किसी भी मामले में एक दूसरे के साथ जुड़ी घटनाओं की श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है, जिससे अभियुक्त के अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता है।
18. तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी पर लगाई गई सजा और दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। तथापि, धारा 304ख, 498क तथा धारा 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि और सजा बहाल की गई है।
19. वर्तमान मामले में अपीलार्थी पंद्रह वर्ष से अधिक समय तक कारावास में रहा है। इस मामले को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी के लिए जुर्माना राशि जमा करना आवश्यक नहीं होगा। अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए।
20. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटान कर दिया जाएगा।

इनके द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

मामले का परिणामः

आंद्रिता देब, सम्मानिक सहयोगी संपादक

अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

(इनके द्वारा सत्यापितः माधवी दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.